

आरईसी ने 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड श्रृंखला VIII में अभिदान बढ़ाया

आरईसी ने 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड - श्रृंखला VIII में 31.03.2010 या भारत सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी में अधिसूचना/आशोधन किए जाने तक, जो भी पहले हो, अभिदान बढ़ाया है।

सूचना ज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और निबंधन वही रहेंगे। कृपया वेबसाइट: <http://rec.rcmcdelhi.com> देखें।